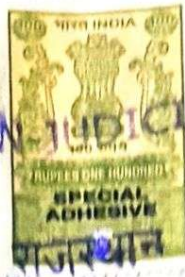


NON JUDICIAL



राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1958 के अंतर्गत	
स्टाम्प का मूल्य एवं प्रयोजन	
1. कमाएंगे की	10
2. पाये जायेगी का	20
पाये जाये	
दि. 06/06/2021	
स्थान राज. सीकर	
[Signature]	

शपथ-पत्र

मैं राकेश कुमार, सचिव, श्री कृष्णा गर्ल्स कॉलेज, बाईपास रोड काँवट, जिला-सीकर (राज.) शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि -

1. यह कि श्री कृष्णा शिक्षा समिति, काँवट की भूमि खसरा नम्बर 31/2, 31/4, 31/5, 31/6, 50, 5212/34 की कुल भूमि 7500 वर्ग मीटर है तथा उक्त खसरा नम्बर पर समिति द्वारा संचालित संस्था श्री कृष्णा गर्ल्स कॉलेज, बाईपास रोड काँवट का भवन निर्मित है।
2. यह कि उक्त भूमि खसरा नम्बर ग्राम प्रीतमपुरी, बाईपास रोड काँवट, जिला-सीकर राज. में स्थित है।
3. यह कि उक्त भवन श्री कृष्णा गर्ल्स कॉलेज, बाईपास रोड काँवट, जिला-सीकर (राज.) के शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कार्यों हेतु काम में लिया जाता है।
4. यह कि उक्त खसरा नम्बर पर स्थित भवन में श्री कृष्णा गर्ल्स कॉलेज, बाईपास रोड काँवट, जिला-सीकर (राज.) के अलावा अन्य कोई भी संस्था संचालित नहीं है।

[Signature]
ह. शपथग्रहिता

श्री कृष्णा शिक्षा समिति
काँवट (सीकर)

सत्यापन

मैं राकेश कुमार, सचिव, श्री कृष्णा गर्ल्स कॉलेज, बाईपास रोड काँवट, जिला-सीकर (राज.) शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि इस शपथ-पत्र में बिन्दु संख्या 1 से 4 तक दी गई सम्पूर्ण सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। ईश्वर साक्षी है।

08/04/25

Orth Sincerely Affirmed &
Declared before me

[Signature]
08/04/25
Notary Public
Distt. Sikkar (Raj.)

[Signature]
ह. शपथग्रहिता

श्री कृष्णा शिक्षा समिति
काँवट (सीकर)